



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272390
CG-DL-E-09052026-272390

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2266]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2266]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2357(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 127 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट करती है कि संहिता के अधीन संदेय किसी भी अंशदान या किसी संदेय रकम के लिए, नियोजक संहिता के अधीन किसी रकम के देय होने की तारीख से लेकर उसके वास्तविक संदाय की तारीख तक बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

[फा. सं. आर-19025/13/2026-एस एस-1]

आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2357(E).— In exercise of powers conferred by section 127 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government specifies that for any contribution or any other amount payable under the Code, the employer shall be liable to pay simple interest at the rate of twelve percent per annum from the date on which any amount has become due under the Code till the date of its actual payment.

[F. No. R-19025/13/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.